प्रेस नोट

दिनांक 25.10.2026

जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा पुलिस आफिस, पुलिस लाइन, समस्त थानों व कार्यालयों/परिसर की सफाई की गई

आज दिनांक 25.10.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित कार्य वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त अधिकारी/ कर्मचारीगण द्वारा सामूहिक श्रमदान कर अपने अपने कार्यालय व परिसरों की साफ सफाई की गयी।

पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन, जनपद के समस्त थानों एवं शाखाओं के कार्यालयों व परिसरों में साफ सफाई का कार्य किया गया। इस दौरान कार्यालय कक्षों, बैरकों, मेस, हवालात एवं आसपास के परिसरों को साफ -सुथरा किया गया तथा लावारिस व पुराने माल-मुकदमाती वाहनों को व्यवस्थित ढंग से खड़ा कर परिसर की सुंदरता बढ़ाई गई।

पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को एक स्वच्छ व सुलभ वातावरण प्रदान करना तथा पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता को बेहतर बनाए रखना है।

पीईटी(PET) परीक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया तथा सतर्क निगरानी हेतु आवश्यक दिशा -निर्देश दिया गया।

यूपी ट्रिपल एससी PET-2026 की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा जनपद मऊ के परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा परीक्षा केन्द्रो पर स्थापित कन्ट्रोल रूम/ सीसीटीवी रूम का निरीक्षण किया गया।

परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जनपद में निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों व मुख्य प्रवेश द्वारों एवं आसपास के क्षेत्रों में पर पर्याप्त पुरूष / महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा प्रत्येक केंद्र के आसपास सतर्क निगरानी रखी जा रही है। भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा अव्यवस्था पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों, पेपर लीक या ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए साइबर पुलिस टीम व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि भ्रामक या फर्जी खबरें फैलाने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा सके।

जनपद मऊ पुलिस सभी परीक्षार्थियों से अपील करती है कि वे शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखें तथा परीक्षा को निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

न्यायलय की कार्यवाही से बचने के लिए हत्या जैसे संगीन अपराध में ट्रायल के दौरान फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य कूटरचित दस्तावेज के आधर पर स्वयं को मृतक दर्शाकर फरार चल रहे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्र के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर व एसओजी तथा सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक- 25.10.2026 को समय 09.10 AM बजे पर ख्वाजाजहांपुर मोहल्ले के पास से मु0अ0सं0- 294/2026 धारा 229, 233, 336(3), 337, 338, 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से सम्बन्धित राजू उर्फ राजकुमार राजभर पुत्र स्व० रामनाथ, निवासी ग्राम ख्वाजाजहाँपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवरण - दिनांक 19.12.2016 को वादी श्री अविनाश सिंह पुत्र स्व० सुरेश सिंह निवासी नगरीपार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा अपने चाचा श्री योगेश सिंह की मुंशीपुरा रेलवे लाइन के पास राजू उर्फ राजकुमार राजभर पुत्र स्व० रामनाथ, निवासी ग्राम ख्वाजाजहाँपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ व उसके दोस्त सुदर्शन राजभर द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 2156/16 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ बनाम राजू उर्फ राजकुमार राजभर पुत्र स्व० रामनाथ, निवासी ग्राम ख्वाजाजहाँपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त उपरोक्त शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का भी कार्य करता है व कई लोगों से पैसे लेकर उन्हें शेयर मार्केट में लगा चुका है। उक्त मुकदमें के ट्रायल के दौरान माननीय न्यायालय में सजा से बचने व लोगों से लिये गये पैसे वापस न करना पड़े इसलिये ही दिनांक 30.05.2025 को गाजीपुर जनपद में स्वयं को मृत दर्शाकर तथा फर्जी दाह संस्कार व मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य जाली दस्तावेज तैयार कराकर माननीय न्यायालय में दाखिल कर फरार चल रहा था। जिस सम्बन्ध में उच्चाधिकारी गण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कोतवाली नगर/ एसओजी/ सर्विलांस संयुक्त टीम के सहयोग से फरार चल रहे अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1.राजू उर्फ राजकुमार राजभर पुत्र स्व० रामनाथ, निवासी ग्राम ख्वाजाजहाँपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ, उम्र करीब 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास:

1.मु0अ0सं0 2156/2016, धारा 302 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0 294/2026, धारा 229, 233, 336(3), 337, 338, 340 (2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय:

दिनांक: 25.10.2026, समय: 09.10 बजे

स्थान: मोहल्ला ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली नगर मऊ।

थाना दोहरीघाट पुलिस को मिली बड़ी सफलता: माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/टोटके वाला वीडियो वायरल करने वाले एवं संलिप्त 05 व्यक्ति गिरफ्तार।

विवरण: माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेन्द्र मोदी जी का टोटके वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के संबंध में थाना दोहरीघाट पर मु0अ0सं0 243/2026 धारा 353(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

इस प्रकरण में अपराध निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार यादव द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी। विवेचना के दौरान उक्त पोस्ट को वायरल करने वाले एवं घटना में संलिप्त 05 व्यक्तियों को CCTV फुटेज व साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों को विधिक कार्रवाई हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अन्य साक्ष्य संकलन एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तार सुदा अभियुक्त का विवरण:-

1. रोशन कुमार उर्फ रोशन बाबा उर्फ रोशन गुरु पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम जमीरा चौराडीह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 26 वर्ष
2. शिवम कुमार पुत्र रामजीत निवसी ग्राम जमीरा चौराडीह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष,
3. आदित्य कुमार पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम रेलवे स्टेशन सम्मलित मोहल्ला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष
4. उज्जवल जायसवाल पुत्र श्री श्रवण कुमार जायसवाल निवासी ग्राम सदर बाजार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष
5. अमन सोनकर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सोनकर निवासी ग्राम चमरौटी मोहल्ला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 29 वर्ष
6.

बिना कारण लाठी डण्डे से मारकर घायल कर हत्या करने वाले एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्र के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण

तिवारी के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 25.10.2026 को कस्बा खास घोसी से मु0अ0सं0- 437/2026 धारा 105,115(2),352,351(3) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त रामअवतार सोनकर पुत्र अकलू सोनकर निवासी कस्बा खास घोसी थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**:*

1. रामअवतार सोनकर पुत्र अकलू सोनकर निवासी कस्बा घोसी थाना घोसी जनपद मऊ।

***आपराधिक इतिहास**:*

1. मु0अ0सं0- 437/2026 धारा 105,115(2),352,351(3) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक: 25.10.2026,
स्थान: कस्बा घोसी जनपद मऊ।

मिशन शक्ति 6.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी, जिसमें 25 मामलों में से 07 मामलों का हुआ निस्तारण।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में आज दिनांक 25.10.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 25 मामले आये, जिसमें 07 मामलों का निस्तारण हुआ। निस्तारण में 06 मामलें बन्द हुए, 01 मामलें सुलह हुए हैं जिनके नाम अनिता/ शैलेष है तथा शेष मामलें में अगली तारीख दी गयी है।

परिवार परामर्श समिति की बैठक में श्रीमती अर्चना उपाध्याय, श्री सर्वेश दूबे, श्री शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद रहे तथा उ0नि0 इन्द्रभूषण पांडेय, महिला आरक्षी पूनम पाल, महिला आरक्षी करिश्मा उपस्थित रहे।

थाना घोसी पर 22 मुकदमें में बरामद अबैध कच्ची देशी शराब व फ्रुटी बन्टी बबली कुल मात्रा- 261.6 लीटर कराया गया विनिष्टीकरण

आपरेशन क्लीन आभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अबैध शराब का कराया जा रहा विनिष्टीकरण, शराब विनिष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश दिनांक 15.10.2026 के क्रम में गठीत टीम द्वारा आज दिनांक 25.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक घोसी रवींद्रनाथ राय, अभियोजन अधिकारी श्री हरेंद्र सिंह, लिपिक सनी कुमार गुप्ता व अन्य संबंधित कर्मचारी की उपस्थिति में थाना घोसी में कुल 22 अभियोंग से संबंधित अबैध कच्ची व देशी शराब, फ्रुटी बन्टी बबली कुल मात्रा- 261.6 लीटर गिराकर विनिष्टीकरण कराया गया ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 25.10.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.आसमोहम्मद पुत्र लाल मोहम्मद, 2. विपिन त्रिपाठी पुत्र रामविजय त्रिपाठी निवासी ग्राम भदसामानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2.**थाना रानीपुर** पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शंकर चौहान पुत्र राजदेव चौहान निवासी ग्राम पड़री थाना रानीपुर जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 46,000/- (छियालीस हजार रुपये) पीड़ित को वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 25.10.2026 को पीड़ितो के खाते से यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 46,000/- रूपये (छियालीस हजार रुपये) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

थानावार विवरण-

- थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित/अवेदक प्रदीप कुमार सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी ग्राम सरबसपुर थाना घोसी जनपद मऊ का कुल धनराशि- 46,000/- रुपया वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से गुम/खोये हुए कुल 02 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन कीमत लगभग- 28,999/- को बरामद कर वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.10.2026 को गुम/

खोये हुए 02 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन कीमत- 28,999/- (अट्ठाईस हजार नौ सौ निन्यानवे रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

***विवरण*-**

1.आवेदक धर्मेंद्र पाल निवासी मऊ थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ – एक अदद मोबाइल realme C21Y कीमत लगभग 12,999/- रूपये वापस कराया गया।

2.आवेदक शिवचन्द्र मौर्या निवासी मिर्जापुर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ- एक अदद मोबाइल redmi 10 prime कीमत लगभग 16,000/- रूपये वापस कराया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।